भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3318
उत्तर देने की तारीख : 29.03.2023

दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाएं

3318. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में मौजूदा बुनियादी ढांचा दिव्यांगजनों की आवाजाही के लिए पर्याप्त है;
(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन स्थानों में समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) दिव्यांगजनों के बेहतर आवागमन के लिए भविष्य में क्या-क्या प्रावधान किए जाएंगे?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) और (ग): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 45-46 के अनुसार, 'दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित पर्यावरण हेतु सुसंगत दिशानिर्देश और स्थान मानक, 2016' के अनुसार सार्वजनिक भवनों को सुगम्यं बनाया जाएगा, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी नियमों के तहत अधिसूचित है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत बनाए गए आरपीडब्ल्यूडी नियम 15 (1) में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान दिव्यांगजनों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण, भौतिक पर्यावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित मानकों अर्थात मार्च 2016 में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा जारी सुसंगत दिशानिर्देशों और स्थान मानकों का अनुपालन करेगा।

उपर्युक्त के अलावा, सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता को आसान बनाने के लिए कुल 1709 केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भवनों को सुगम्य बनाया गया है। एआईसी के अलावा, जो इस विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है जोकि मार्च 2024 तक बंद होने वाला है, डीईपीडब्ल्यूडी अपने सिपडा योजना के उप-घटक "बाधामुक्त वातावरण का सृजन" के तहत पूरे वर्ष भवनों की रेट्रोफिटिंग के प्रस्तावों को भी स्वीकार करता है।

यह विभाग आरपीडब्ल्यूडी नियम 2017 के तहत बनाए गए नियम 15 (2) के प्रावधान को भी लागू कर रहा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि संबंधित मंत्रालय और विभाग क्रमशः संबंधित डोमेन नियामकों के माध्यम से या अन्यथा नियम के तहत विनिर्दिष्ट सुगम्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अब तक, 20 मंत्रालय/विभाग, वर्तमान में अपने सेक्टर विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार कर रहे हैं जिनमें से तीन मंत्रालयों/विभागों ने ई-राजपत्र में अपने दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं, जबकि अन्य इसे अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं।
